

Seventeenth Series, Vol. XXIII No.11

Monday, March 13, 2023

Phalguna 22, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXIII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)
No. 11, Monday, March 13, 2023/ Phalguna 22, 1944 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	9-10
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 161 to 180	15-91
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	92-771

MESSAGE FROM THE PRESIDENT	772
PAPERS LAID ON THE TABLE	773-786
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
40 th Report	787
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING	
51 st to 56 th Reports	787-788
STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT	
41 st to 43 rd Reports	788
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS	
14 th Report	789
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE	
339 th to 343 rd Reports	790
STATEMENT BY MINISTER	
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36 th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	
Shri Arjun Ram Meghwal	791

UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET, 2023-24	792
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR), 2022-23	792
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS- SECOND BATCH, 2022-23	793
MATTERS UNDER RULE 377	794-814
(i) Regarding setting up of a centre of National Institute of Electronics and Information Technology in Maharajganj Parliamentary Constituency Shri Janardan Singh Sigriwal	794-795
(ii) Need to ensure execution of works under the Jal Jeevan Mission in Kanker Parliamentary Constituency as per specified norms Shri Mohan Mandavi	795
(iii) Regarding restarting production in Indian Copper Complex Plant at Ghatsila, Jharkhand Shri Bidyut Baran Mahato	796
(iv) Need to upgrade Post Office Passport Seva Kendra, Ajmer to a full-fledged Passport office Shri Bhagirath Choudhary	797
(v) Need to provide dwelling units to transgender people under Pradhan Mantri Awas Yojana Shri Vinod Kumar Sonkar	798
(vi) Regarding plight of labourers of Bihar working in Tajikistan Shri Rajiv Pratap Rudy	799

- (vii) Need to accord the status of Martyr (Shaheed) to the armed forces who lay down their lives in the line of duty
Shrimati Ranjeeta Koli 800
- (viii) Need to increase beds and ventilators for patients in Trauma Centre, AIIMS, Raipur in Chhattisgarh
Shri Chunnilal Sahu 801
- (ix) Regarding setting up potato-based food processing industries and taking steps for export of potato in Misrikh Parliamentary Constituency
Shri Ashok Kumar Rawat 802
- (x) Regarding implementation of Reclamation of Problem Soils (RPS), a sub scheme of the Rashtraiya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
Sushri Sunita Duggal 803
- (xi) Need to declare and develop places of religious importance in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency as tourist places
Shri Ashok Mahadeorao Nete 804-805
- (xii) Regarding payment of compensation to farmers for their land having landmines in border areas of Jammu Parliamentary Constituency
Shri Jugal Kishore Sharma 806
- (xiii) Need to correct the spelling of "Dhangadh" as "Dhangar" in the OBC list in Maharashtra
Shri Ranjeetsingh Naik Nimbalkar 807

- (xiv) Regarding mekedatu Project in Tamil Nadu
Shri D.M. Kathir Anand 808
- (xv) Need to withhold the launch of Initial Public Offer (IPO) of the LIC
Shrimati Vanga Geetha Viswanath 809
- (xvi) Regarding construction of road along the Sealdah Diamond Harbour railway line
Shrimati Pratima Mondal 810
- (xvii) Need to accord approval to the proposal for construction of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Maval Parliamentary Constituency
Shri Shrirang Appa Barne 811
- (xviii) Need to include Gopalganj district, Bihar under the Scheme for regeneration of traditional Industries
Dr. Alok Kumar Suman 812
- (xix) Regarding replacement of feeble power transmission lines and installation of transformers of adequate power in Amroha, Uttar Pradesh
Kunwar Danish Ali 813
- (xx) Regarding implementation of Post-Matric scholarships Scheme for the students belonging to the Scheduled Castes in Bihar
Shri Prince Raj 814

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	795
Member-wise Index to Unstarred Questions	796-801

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	802
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	803

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 13, 2023/ Phalguna 22, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुःख के साथ मुझे सभा को हमारे चार पूर्व-साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री ब्रिजेन्द्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री ब्रिजेन्द्र पाल सिंह तीन कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर भी कार्य किया। श्री ब्रिजेन्द्र पाल सिंह जी का निधन 25 नवम्बर, 2022 को 74 वर्ष की आयु में मुरादाबाद में हुआ।

श्री आनंद रत्न मौर्य उत्तर प्रदेश के चन्दौली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री मौर्य ने विदेशी मामलों संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति सहित विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री आनंद रत्न मौर्य जी का निधन 20 जनवरी, 2023 को 67 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में हुआ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री प्रसाद सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और नियम समिति के सदस्य रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद वर्ष 1995 से 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन 94 वर्ष की आयु में 22 जनवरी, 2023 को पटना में हुआ।

श्रीमती जे. जमुना आंध्र प्रदेश के राजामुन्दरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोक सभा की सदस्य थीं। फिल्म अभिनेत्री, श्रीमती जमुना ने अनेक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और थिएटर कलाओं के संवर्धन के लिए कार्य किया।

श्रीमती जे. जमुना जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जनवरी, 2023 को हैदराबाद में हुआ। यह सभा हमारे पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11.02 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति:।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राज नाथ सिंह जी।

... (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को यहां पर आकर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए।... (व्यवधान) उन्होंने भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वे क्षमा याचना मांगें। मैं यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल है। आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): भारत mother of democracy है।...(व्यवधान) हमारे कर्नाटक में विश्व गुरु बासवन्ना ने...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : एक अनुभव मंडपम...(व्यवधान) जिसका प्रधान मंत्री जी बार-बार जिक्र करते हैं।...(व्यवधान) ऐसे देश से आते हुए, इस सदन के एक माननीय सदस्य श्रीमान राहुल गांधी, विदेश में, विदेश की धरती पर जाकर, एक तो स्पीकर,...(व्यवधान) He cast aspersions on the Speaker. ... (*Interruptions*) चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं।...(व्यवधान) सर, उनका माइक पूरा चालू था, शुरू था।...(व्यवधान) आपने उनको बोलने का पूरा मौका दिया।... (व्यवधान) उन्होंने पूरी बात बोली।...(व्यवधान) मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि who was in power when the Fundamental Rights were suspended during Emergency?...(*Interruptions*) डेमोक्रेसी को क्या हो गया था?...(*व्यवधान*) जब एक ऑर्डिनैस, जिसमें मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणव मुखर्जी जैसे नेता एक ordinance promulgate किया था, उसको सारी मीडिया के सामने फाड़ कर फेक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था।...(व्यवधान) Where was democracy at that time?...(*Interruptions*) Where was democracy when the then Prime Minister looked helpless?... (*Interruptions*) ऐसे व्यक्ति को जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इन्टरवेंशन, भारत के इन्टरनल मामले पर,...(*व्यवधान*) उन्होंने विदेशी शक्तियों, विदेशी ताकतों को इन्टरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने की मांग की।...(व्यवधान) मैं यह totally condemn करता हूं।...(व्यवधान) हमारे सारे सदन को

कन्डेम करना चाहिए...(व्यवधान) थोड़ा कुछ भी ...* है, तो राहुल गांधी को इस सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए...(व्यवधान) यह हमारी डिमांड है...(व्यवधान) Under the Leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया विराजो।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : मोदी जी का कार्यक्रम इस देश में हुआ है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने दें।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : जो इलेक्टेड हैं...(व्यवधान) कांग्रेस के जो प्रधान मंत्री थे, वे देश के प्रधान मंत्री थे...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वेल में आकर नारेबाजी करना उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : हमारे इलेक्टेड प्रधान मंत्री हैं...(व्यवधान) उनका क्रिटिसिज्म हुआ है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यहां से जाइए। सभी को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। सदन आपका है।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : 75 वर्ष के इस देश में कोई भी प्रधान मंत्री और सरकार का क्रिटिसिज्म रोकने का,...(व्यवधान) हम लोग क्रिटिसिज्म स्वीकार करते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस देश के लोगों में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था है। दुनिया के संसद सदस्य और दुनिया के अध्यक्ष यह मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री प्रहलाद जोशी : लेकिन जो व्यक्ति बाहर जाकर डेमोक्रेसी को,...(व्यवधान) कोशिश की।...(व्यवधान) वह व्यक्ति बाहर जाकर ऐसा बोलता है,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन आपका है। इस देश के लोगों में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था है। दुनिया के संसद सदस्य और दुनिया के अध्यक्ष यह मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : उसे कन्डेम करना ही चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बाहर बोलने की आजादी है। आप अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 161 to 180
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070)
(Page No. 15 to 771)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

14.0¼ hrs

At this stage, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

14.0½ hrs**MESSAGE FROM THE PRESIDENT**

माननीय सभापति : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष जी को महामहिम राष्ट्रपति जी से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:

“31 जनवरी, 2023 को, दोनों सदनों की समवेत बैठक में, मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है।”

... (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 3 – श्री अर्जुन मुंडा।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन मुंडा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विशेष प्रतिवेदन।

(दो) इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9073/17/23]

(तीन) विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में ओडिशा सरकार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (राउरकेला इस्पात संयंत्र) द्वारा किए गए उपायों की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विशेष प्रतिवेदन।

(चार) विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में ओडिशा सरकार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (राउरकेला इस्पात संयंत्र) द्वारा किए गए उपायों की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष प्रतिवेदन

पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विलंब संबंधी दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9074/17/23]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the

Table:-

- (1) A copy of the Notification No. 1-CA(5)/73A/2022 (Hindi and English Versions) published in Gazette of India dated 23rd December, 2022 containing corrigendum to Notification No. 1-CA(5)/73A/2022 dated 29th September, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 9075/17/23]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurugram, for the year 2021-2022, along with audited accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurugram, for the year 2021-2022.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9076/17/23]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रत (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9077/17/23]

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रत (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9078/17/23]

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9079/17/23]

- (3) (एक) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई और द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई और द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9080/17/23]

... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, जो 02 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/111 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9081/17/23]

(2) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआई/2021-22 जो दिनांक 9 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें बुलियन एक्सचेंज के नवीकरण को अधिसूचित किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईएनएक्स/120 जो दिनांक 23 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के नवीकरण को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईसीसी/126 जो दिनांक 23 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इंडिया इंटरनेशनल क्लयरिंग कॉरपोरेशन के नवीकरण को अधिसूचित किया गया है।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी028 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी029 में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी030 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का रख-रखाव तथा जांच और निरीक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23 / जीएन / आरईजी 031 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम के भुगतान और प्राप्ति की रीति) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी032 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी033 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9082/17/23]

... (व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2023-2024 के लिए सूक्ष्मण, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2023-2024 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 9083/17/23]

... (व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9084/17/23]

... (व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (एक) वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 9085/17/23]

- (2) (एक) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9086/17/23]

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9087/17/23]

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9088/17/23]

- (5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9089/17/23]

- (7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9090/17/23]

(9) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9091/17/23]

(11) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9092/17/23]

- (13) (एक) डॉ. बी.आर.अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ. बी.आर.अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9093/17/23]

- (15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9094/17/23]

- (17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताड़पल्लीगुडम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताड़पल्लीगुडम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9095/17/23]

(19) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9096/17/23]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT

KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the IFCI Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the IFCI Limited, New Delhi, for the year 2021-2022,

along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9097/17/23]

- (3) A copy of the Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.79(E) in Gazette of India dated 1st February, 2023 under sub-section (3) of Section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993.

[Placed in Library, See No. LT 9098/17/23]

- (4) A copy of the Notification No. F.No. IRDAI/RI/1/189/2023 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st January, 2023, notifying "Obligatory cession for the financial year 2023-2024" under sub-section (3) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 9099/17/23]

- (5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, for the year 2021-22, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9100/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों

की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9101/17/23]

... (व्यवधान)

14.03 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

40th Report

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, I beg to present the 40th
Report of the Business Advisory Committee.

14.04 hrs

**STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL
HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING**

51st to 56th Reports

श्री देवजी पटेल (जालौर): महोदय, मैं कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 51वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 52वां प्रतिवेदन।
- (3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

- (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (6) सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

14.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND
SKILL DEVELOPMENT

41st to 43rd Reports

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
2. वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 42वां प्रतिवेदन।
3. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

14.05½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

14th Report

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

14.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM
AND CULTURE
339th to 343rd Reports

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

- (1) Three Hundred Thirty-ninth Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Civil Aviation.
- (2) Three Hundred Fortieth Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Culture.
- (3) Three Hundred Forty-first Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
- (4) Three Hundred Forty-second Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Road Transport and Highways.
- (5) Three Hundred Forty-third Report on Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Tourism.

... (*Interruptions*)

14.07 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Rajeev Chandrasekhar, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

... (Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 9072/17/23

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 21, श्री पंकज चौधरी।

... (व्यवधान)

14.08 hrs

**UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR
BUDGET, 2023-24**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 22, श्री पंकज चौधरी।

... (व्यवधान)

14.08½ hrs

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (THE UNION
TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR), 2022-23**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 22, श्री पंकज चौधरी।

... (व्यवधान)

14.09 hrs

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS,
SECOND BATCH, 2022-23**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों – दूसरा बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

14.10 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में उनको अनुमति प्रदान की जाती है, जिन माननीय सदस्यों के पाठ स्वीकृत हुए हैं। वे अपने अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर लिखित रूप से सभा पटल पर रख दें।

(i) Regarding setting up of a centre of National Institute of Electronics and Information Technology in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार में कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में युवाओं/युवतियों एवं छात्र/छात्राओं को फाउंडेशन कोर्स, डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा कोर्स तथा इस क्षेत्र में उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाली कोई संस्था नहीं है। ऐसी संस्थाओं के अभाव में हमारे संसदीय क्षेत्र के वैसे छात्र/छात्राओं को जिनकी रुचि कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, उन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हमारे संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष हजारों हजार की संख्या में छात्र-छात्राएं अन्यत्र दूरदराज के क्षेत्रों में जाते हैं। इस परिस्थिति में शिक्षण-प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं/युवतियों को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अत्यधिक आर्थिक खर्च का बोझ भी उठाना पड़ता है।

* Treated as laid on the Table

इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के सेंटर की स्थापना सारण जिला के अंतर्गत जलालपुर प्रखंड मुख्यालय जलालपुर, बनियापुर प्रखंड मुख्यालय बनियापुर या सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय महाराजगंज में कराया जाए।

(ii) Need to ensure execution of works under the Jal Jeevan Mission in Kanker Parliamentary Constituency as per specified norms

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल-जीवन मिशन अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र कांकेर (छत्तीसगढ़) में किये जा रहे पाइप लाइन विस्तार, पानी टंकी निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितता की शिकायत क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों से निरंतर मिलती रही है। जल-जीवन मिशन में किये जा रहे कार्य में निर्माण एजेंसियों द्वारा उपयोग की गई सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। स्तरहीन सामग्री का उपयोग कर स्तरहीन कार्य किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेक बसावटों के ग्रामों में इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए स्थल की भौगोलिक बनावट को ध्यान नहीं दिया गया है, और न ही स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कार्य किया जा रहा है। मेरा संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का घर-घर जल नल का जो सपना था वह अनियमितताओं का भेंट चढ़ता जा रहा है। अतः अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर अपेक्षानुरूप हो इस हेतु सख्त से सख्त दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि समयावधि में हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

**(iii) Regarding restarting production in Indian Copper Complex Plant
at Ghatsila, Jharkhand**

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला प्रखंड (मऊभंडार) स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (ICC) वर्ष 1932 से स्थापित प्लांट है। उक्त प्लांट पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ICC प्लांट में HCL की ही मलाजखंड इकाई से सप्लाई होने वाली ताम्र सांद्र अयस्क से उत्पादन कार्य होता है। दुर्भाग्यवश, HCL लंबे समय से ताम्र सांद्र अयस्क की सप्लाई ICC इकाई में नहीं कर सीधे बाजार में बेच रही है। सांद्र अयस्क की कमी के कारण ICC स्मेल्टर बंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि HCL प्रबंधन प्लांट को बेचने का मन बना रही है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के आसपास के निवासियों, कार्यरत मजदूरों एवं कामगारों में भारी आक्रोश है। कोरोना महामारी के बीच बीते डेढ़ साल से असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूर बेरोजगार हो चले हैं जो चिंता का विषय है। साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र स्थित राखा कॉपर एवं चापड़ी माइंस बीते दो दशक से बंद पड़ी हुई है। इस माइंस को चालू कराने हेतु मैं लंबे समय से प्रयासरत हूँ। उक्त प्रयास के फलस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने माइंस को चालू कराने हेतु लीज पर 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया था, ताकि बंद खदानें चालू हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। उक्त माइंस के कंपनी प्रबंधन के द्वारा फरवरी 2019 में भूमि पूजन भी किया गया था जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी एवं कंपनी के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। परंतु HCL प्रबंधन द्वारा ढाई वर्ष बीतने के बाद भी माइंस को खोलने हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है जिससे स्थिति जस का तस बना हुई है। अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला प्रखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड- इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स प्लांट में उत्पादन एवं मुसाबनी प्रखंड के राखा कॉपर एवं चापड़ी माइंस को चालू कराने की कृपा की जाय।

**(iv) Need to upgrade Post Office Passport Seva Kendra,
Ajmer to a full-fledged Passport office**

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अजमेर संभाग मुख्यालय पर संचालित पोस्टऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर 4 मार्च 2018 से निरन्तर आमजन को अपनी सेवाए दे रहा है। यहाँ पर वर्तमान में अजमेर संभाग के चारों जिला यथा- अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक के साथ-साथ पाली एवं राजसमंद जिले एवं संसदीय क्षेत्र के व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ-साथ आमजन को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का आंशिक लाभ ही मिल रहा है। लेकिन वर्तमान आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए उक्त पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर में तत्काल पासपोर्ट, पीसीसी की सुविधा, सत्यापित करने वाले सक्षम अधिकारी के अभाव आदि के साथ-साथ अन्य विभागीय सेवाओं का समग्र लाभ उक्त सभी वांछित वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में रीजनल पासपोर्ट अधिकारी जयपुर के अधीन चार स्थानों पर यथा-जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं सीकर में ही पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र संचालित है और अजमेर में संचालित पोस्टऑफिस पासपोर्ट सेवाकेन्द्र का कार्यभार प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों पर संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र से अधिक है। अतः माननीय केन्द्रीय विदेश मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि अजमेर (राजस्थान) संभाग मुख्यालय पर वर्तमान में संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर को आगामी बजट 2023-24 की विभागीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र में क्रमोन्नत कराने की सक्षम विभागीय स्वीकृति जारी कराकर मुझे अनुग्रहित करावें, ताकि अजमेर संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, पाली, राजसमंद संसदीय क्षेत्रों के वाशियों को उक्तपूर्ण पासपोर्ट सेवाकेन्द्र अजमेर की स्थापना का समग्र एवं समुचित लाभ मिल सके।

(v) Need to provide dwelling units to transgender people under Pradhan Mantri Awas Yojana.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर अपनी लैंगिक पहचान से जुड़ी सामाजिक संकीर्णता के कारण एक अच्छे इलाके में घर खरीदने या किराए पर घर लेने में मुश्किल होती है, इसलिए यह योजना उनके लिए सम्मानजनक और सम्मानित जीवन जीने में मददगार होगी। हम आम तौर पर इस हाशिए के समुदाय के लिए आश्रय गृह या छात्रावास सुविधाओं के बारे में सुनते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए स्थायी और समर्पित आवास समाधान की आवश्यकता है ताकि वह लोग फ्लैट के मालिक हों, परिसर के मालिक हों और एक सम्मानित जीवन जी सकें। ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित आवास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) निधियों और अन्य स्रोतों से शेष धन की व्यवस्था की जा सकती है।

(vi) Regarding plight of labourers of Bihar working in Tajikistan

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Several media reports have brought out that many labourers from Bihar have been trapped in Tajikistan, bound in contractual work, under appalling work conditions. As per information available in the media, these labourers are contract workers in Tajikistan who have been subjected to acutely deplorable living conditions. The contract of the workers is with an Indian placement company which is affiliated with a Tajikistan-based company. The company in which they are affiliated with has unilaterally increased their working duration to 14 hours per day without any commensurate increase in wages. Additionally, the labourers have also claimed that they are provided with inadequate and often unsafe and contaminated food. Many of these labourers have fallen ill and are unfit to continue work. Some estimates say that there are close to 50 labourers from Bihar currently waiting to be rescued but in the absence of reliable information the numbers could be much more. I request the Government to provide detailed information on the exact number of labourers from Bihar trapped in Tajikistan, their name and home district. I also request that they may be rescued and transported back home safely at the earliest.

**(vii) Need to accord the status of Martyr (Shaheed) to the armed forces
who lay down their lives in the line of duty**

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): मेरे लोकसभा क्षेत्र भरतपुर सहित देश के लाखों जवान आर्मी तथा आर्म्ड फोर्स में कार्य करते हुए देश सेवा कर रहे हैं। देश की सीमा अथवा आमजन की सुरक्षा के लिए विभिन्न आर्म्ड फोर्स अथवा सेना की तैनाती की जाती है, अधिकतम समय में सेना युद्ध काल के समय तैनात की जाती रही है, लेकिन विभिन्न आर्म्ड फोर्स के जवान सीमा अथवा संवेदनशील इलाकों में देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। कई बार इन आर्म्ड फोर्स के जवानों की देश की रक्षा करते हुए मृत्यु हो जाती है परंतु उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाता है। मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि देश अथवा आमजन की रक्षा करते हुए ऐसे आर्म्ड फोर्स के जवानों की मृत्यु होने पर उनको शहीद का दर्जा दिया जाए तो आपकी अति कृपा होगी।

(viii) Need to increase beds and ventilators for patients in Trauma Centre, AIIMS, Raipur in Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में संचालित एम्स अस्पताल में बिस्तर एवं वेंटिलेटर की कमी होना बताकर अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को वापस कर दिया जाता है। जिससे गरीब मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर होते जा रहे हैं। जहां काफी धनराशि लगने के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गरीब मरीज हैं उन्हें चिकित्सा के अभाव में जान भी गंवानी पड़ रही है। ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तत्काल रायपुर एम्स अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बिस्तर एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए जाने की अति आवश्यकता है ताकि समस्या से निजात पाया जा सके। अतः माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह है, कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर विभागीय जांच कराते हुए अतिशीघ्र रायपुर एम्स अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बिस्तर एवं वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने हेतु विभाग को निर्देशित करें।

(ix) Regarding setting up potato-based food processing industries and taking steps for export of potato in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख की बिल्हौर विधानसभा जनपद कानपुर नगर और इसके निकटवर्ती क्षेत्र, जिनमें कन्नौज और फर्रुखाबाद जनपद भी शामिल हैं, में आलू की काफी अधिक फसल होती है तथा इस क्षेत्र के किसानों की आजीविका का एकमात्र सहारा आलू की उपज है।

वर्तमान समय में, लागत मूल्य से भी आधी कीमत पर आलू बिक रहा है, जिस कारण क्षेत्र के किसान आलू की उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने की वजह से काफी परेशान हैं तथा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि आलू उत्पादकों के हित में क्षेत्र के अरौल-गंगापुर के बीच में आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए जाने के साथ-साथ आलू के निर्यात हेतु संभावित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के आलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके।

**(x) Regarding implementation of Reclamation of Problem Soils (RPS),
a sub scheme of the Rashtraiya Krishi Vikas Yojana (RKVY)**

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): I would like to draw your attention to a major issue concerning the future of farmers in my Parliamentary Constituency where the twin problem of soil salinity and waterlogging in major parts is creating challenges for farmers in the region. These soils occur mainly in northern parts of Sirsa district of Haryana i.e. Odhan, Baragudha and Sirsa blocks and parts of Dabwali, Nathusari Chopta and Rania blocks. The extent of salinity in a waterlogged area is 35 to 40 deci Siemens per meter (dS/m) against the normal limit of 2 dS/m. The Government is implementing Reclamation of Problem Soils (RPS) as a sub-scheme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) since 2016-17 for development of problem soils on pilot basis in 15 States to bring such land under cultivation. Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has developed technologies for reclamation of bad soils which have been found to be effective strategies in managing sodic as well as saline soil of arid regions. I, therefore, urge upon the Government to increase the aid, both financial and technical, to Haryana including my Parliamentary Constituency of Sirsa. It is necessary to reclaim thousands of acres of land which is imperative for food security of people.

**(xi) Need to declare and develop places of religious importance in
Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency as
tourist places**

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली - चिमुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तालुका चमोर्शी में मार्कंडा देवस्थान एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा यह काशी देवस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल का बड़ा महत्व है तथा इस मंदिर के निकट से पवित्र वेणगंगा गुजरती है। वेणगंगा नदी के किनारे स्थित पवित्र मार्कंडा (देव) में भगवान शंकर जी का हेमाडपंती मंदिर है, जो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से पावन है। इस स्थल को विदर्भ का काशी भी कहा जाता है। यहां पर महाराष्ट्र राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है तथा महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 15 - 20 लाख के आसपास होती है। इस धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरे गड़चिरोली - चिमुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही कछाड़गढ़, तालुका सालेकसा, जिला गोंदिया में लिंगोजंगो, जो आदिवासियों के देवता है उनकी एक प्रमुख एवं अति प्राचीन गुफा व मंदिर है। यह देश के आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहां पर प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में विशेष उत्सव के दौरान प्राचीन गुफा न मंदिर के दर्शन करने वाले आदिवासी श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 40 से 50 साल तक पहुंच जाती है।

इसी प्रकार चंद्रपुर जिले की चिमूर तहसील में रामदेगी का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां पर भगवान राम का मंदिर है। यहां पर पौष (जनवरी) महीने में यात्रा होती है तथा आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तगण धार्मिक यात्रा में आते हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी धार्मिक स्थल, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में स्थित हैं, के महत्व को देखते हुए इनको केंद्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इन सभी को पर्यटन के रूप में विकसित करने और उनका सौंदर्यकरण करने के साथ-साथ वहां पर

मार्गों की मरम्मत, मजबूतीकरण कंकरीटीकरण करने, शौचालयों, धर्मशालाओं/सांस्कृतिक भवनों का निर्माण, आदिवासियों के कला-गुणों को विकसित किए जाने व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आवंटित करने का कष्ट करें।

(xii) Regarding payment of compensation to farmers for their land having landmines in border areas of Jammu Parliamentary Constituency

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू के नजदीक उन सीमावर्ती स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर कारगिल युद्ध के दौरान उपजाऊ जमीन पर माइंस लगाये गए थे परन्तु 23 साल बीतने के बाद भी आज भी वहां पर माइंस बिछी हुई हैं जिसके कारण कोई भी किसान खेती की तो दूर की बात वहां पर जा भी नहीं सकते हैं। उन किसानों का क्या गुनाह है कि उन्हें आज तक उस जमीन का कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। उन किसानों का एकमात्र साधन खेती ही था अब वो किसान अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर रहे हैं। उनकी भुखमरी की नौबत आ गयी है उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जिनकी जमीन में माइंस लगे हुए हैं उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाये और उनकी जमीन पर लगे माइंस को निकाला जाय ताकि वहां के किसान उस बंजर भूमि को उपयोग में ला सकें।

(xiii) Need to correct the spelling of 'Dhangadh' as 'Dhangar' in the OBC list in Maharashtra

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर (माधा): धनगर जनजाति देश के कई राज्यों – महाराष्ट्र, कर्णाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में – विद्यमान एक घुमंतु चरवाहा जनजाति है। महाराष्ट्र में तथा मुख्य रूप से मराठवाडा क्षेत्र में यह जनजाति काफी बड़ी संख्या में विद्यमान है। यह जनजाति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है।

पूरे देश में इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है परन्तु महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में टाइपिंग की गलती के कारण इस जनजाति का नाम 'धनगर' के स्थान पर 'धनगढ' टाईप हो गया है तथा वर्तमान में यह जनजाति महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर 'धनगढ' शब्द के रूप में उल्लिखित है। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में धनगढ नाम की कोई जनजाति है ही नहीं और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के धनगर जनजाति के एक करोड़ लोग टाइपिंग की गलती की वजह से अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सरकारी सुविधाओं से विगत 70 सालों से वंचित है।

मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर उल्लिखित 'धनगढ' शब्द को स्थान पर 'धनगर' शब्द प्रतिस्थापित किए जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें ताकि सदियों से शोषित व वंचित 'धनगर' समाज को न्याय मिले तथा उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सभी सुविधाओं के लाभ सहित तत्संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जा सकें।

(xiv) Regarding mekedatu Project in Tamil Nadu

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): The proposed Mekedatu project would impound and divert the first component of uncontrolled flows due to Tamil Nadu, i.e. the flows coming in river Cauvery from the uncontrolled catchment of Kabini sub-basin downstream of Kabini reservoir, the catchment of mainstream of Cauvery river below Krishnarajasahara, uncontrolled flows from Simsha, Arkavathy and Suvernavathy sub-basins and various other small streams. Therefore, the implementation of Mekedatu project would certainly affect the interests of Tamil Nadu's farming community. While the drawal of water from the river for drinking water usage in Bengaluru Metropolitan City has been permitted by the Hon'ble Court, citing that as the reason for constructing such a major reservoir at Mekedatu, which is too far away from Bengaluru Metropolitan area does not sound valid. Further, when Karnataka already has adequate infrastructure for drawing drinking water to meet the demand of Bengaluru Metropolitan area even now, the justification of the need for a reservoir with a storage capacity of 67.16 TMC to utilize 4.75 TMC as drinking water is not at all acceptable. This would definitely jeopardize the availability of water to Tamil Nadu. Therefore, I urge upon the Union Government to intervene in this crucial issue and instruct the Karnataka Government not to pursue the Mekedatu project.

**(xv) Need to withhold the launch of Initial Public Offer
(IPO) of the LIC**

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): LIC employees and agents have been staging demonstrations across the country against the Central Government's move to disinvest a 5% stake in the Company and come out with an Initial Public Offer (IPO). While the Government claims it is not looking to privatise LIC and will continue to hold a controlling stake in LIC, we have seen national public sector banks follow the same pathway to privatisation. The IPO comes at a time of tightening of markets globally, with many IPOs of Indian companies underperforming in the market. Moreover, this month, Foreign Portfolio Investors (FPIs) have pulled out Rs.38,000 crore from India. This is the highest sell-off in 22 months— before this the largest monthly outflows were recorded at the beginning of the pandemic during March 2020. In this light we request the Central Government to indefinitely put-off the IPO and allow the markets to recalibrate to the new geopolitical pressures. In the meanwhile, the Ministry of Finance can conduct thorough consultations with management, staff, agents and policyholders to take a decision on its future course.

(xvi) Regarding construction of road along the Sealdah-Diamond Harbour railway line

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Road connectivity is one of the key components in ensuring development of an area. Not just development, it is essential for safety purpose as well. The condition of the road along the stations Dhamua, Radhanagar and Magrahat in the Sealdah-Diamond Harbour Line is disastrous. The said road is 10 km in length and is situated on the right side of the rail line from Dhamua to Magrahat. These areas fall under my Parliamentary Constituency and people have been approaching me to improve the condition of the said road. Thus, I would request the Hon'ble Minister to direct the Railway authorities to take up this issue and get a proper road constructed and include it under Rail Maintenance Mapping. It is extremely essential to get the road constructed for the people.

**(xvii) Need to accord approval to the proposal for construction of roads
under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Maval Parliamentary
Constituency**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण का कार्य होता है इसमें ग्रामीण इलाकों के लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सड़कें मिलती हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र मावल (महाराष्ट्र) में दो जिले पूना और रायगढ़ लगते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रायगढ़ में लगभग 38 किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रस्ताव नवम्बर 2021 को भेजे गए हैं इसमें कर्जत में नेरल बोरले से अमरोली डिकसाल मार्ग और कलम्ब से पसारने, खालापुर में राज्य मार्ग संख्या 104 से पोड निगडोली नागनाड़े, कलोटे खंडेश्वरवाड़ी और पनवेल में ऐसे कई सारे रोड हैं और पूना जिले में मावल के अंतर्गत ठाकुरशाई, मुन्डावरे जाधववाड़ी से तालुका बॉर्डर तक करीबन 15 किलोमीटर के प्रस्ताव दिसम्बर 2021 में भेजे गए और जबकि इन प्रस्तावों पर चार बार जांच हुई, और प्रस्तावों को दिए गए सुझावों के अनुसार बदला गया, लेकिन आज तक यह प्रस्ताव जस के तस पड़े हैं और अभी एक साल बीत जाने के बाद भी इन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसके साथ ही साथ जो कार्य पूर्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हुए हैं उनका गुणवत्ता के आधार पर कार्य नहीं हुआ है जबकि टेंडर क्लॉज में मेंटेनेंस के लिए ठेकेदारों को फण्ड दिया जाता है लेकिन ठेकेदार मेंटेनेंस का काम नहीं करते हैं इसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के तहत मावल और रायगड जिले के अंतर्गत कर्जत, खालापुर, पनवेल, और उरण के प्रस्तावों को जल्दी से जल्दी मंजूरी प्रदान की जाय।

**(xviii) Need to include Gopalganj district, Bihar under the scheme for
regeneration of traditional Industries**

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं सरकार का ध्यान केन्द्र प्रायोजित स्कीम-पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु निधि योजना-(स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) (स्फूर्ति)' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह पारंपरिक क्षेत्रों के कारीगरों को मूल्यवर्धित पारंपरिक उत्पादों के उत्पादन के लिए सामूहिक रूप से संगठित करने की एक योजना है, जिससे कारीगरों को बढ़ी हुई और स्थायी आय प्राप्त हो। इस योजना के तहत कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पारंपरिक कारीगरों को नई मशीनरी और कच्चे माल की खरीद, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के निर्माण, प्रशिक्षण, परिचयात्मक दौड़ों, डिजाइन और विपणन हस्तक्षेप आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के गोपालगंज जिले में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। 'पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु निधि योजना' (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) (स्फूर्ति)' से पारंपरिक कारीगरों को नई मशीनरी और कच्चे माल के प्रावधान से निश्चित रूप से बिहार के जिला गोपालगंज में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। अतः मैं माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पारंपरिक कारीगरों को नवीनतम तकनीकों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए 'पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु निधि योजना (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) (स्फूर्ति)' के तहत बिहार के जिला गोपालगंज को शामिल किया जाए।

(xix) Regarding replacement of feeble power transmission lines and installation of transformers of adequate power in Amroha, Uttar Pradesh

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा में शहर से लेकर गांवों तक विद्युत तार और खंभे काफी जर्जर हो गए हैं और उनके रखरखाव तथा मरम्मत की व्यवस्था कभी ठीक से नहीं होती है जिससे जर्जर तार एवं झुके खंभे आंधी में टूट कर गिर जाते हैं। विभाग द्वारा किसी तरह जोड़तोड़ कर बिजली चालू कर दी जाती है जिस से हमेशा फाल्ट होता रहता है और सप्लाई बन्द होने के कारण जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। पुराने तारों के कारण ज़रूरत के मुताबिक विद्युत व्यवस्था में सुधार कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। लटकते- झूलते तारों के कारण किसानों की गन्ना व गेहूं की फसल हर वर्ष आग की भेंट चढ़ जाती है। यहाँ ट्रांसफार्मर की भारी कमी एवं कई स्थानों पर खपत से कम क्षमता का ट्रांसफार्मर होने के कारण लोड शेडिंग की समस्या बनी रहती है, विद्युत उपकेन्द्र भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अतः सरकार से मेरी मांग है यहाँ भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने एवं लोगों के जान व माल की रक्षा एवं सुविधा हेतु क्षेत्र के सभी जर्जर तारों को शीघ्र बदलवाने एवं क्षमता के अनुकूल ट्रांसफार्मर लगवाने हेतु सम्बंधित विभाग को निर्देशित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

(xx) Regarding implementation of Post-Matric Scholarships Scheme for the students belonging to the Scheduled castes in Bihar

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित Post Matric Scholarship for SC के दिशानिर्देश 2021, जिसके अनुसार 2.5 लाख से कम आय वाले SC विद्यार्थियों के दसवीं से उपर की पढ़ाई हेतु Total Tuition Fee and Other Compulsory Fees का भुगतान केंद्र एवं राज्य को (60:40) के अनुपात में करना है।

लेकिन बिहार सरकार ने इस दिशा निर्देश को मानने से इनकार करने से अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

वर्तमान में बिहार सरकार, एससी/एसटी कल्याण विभाग, संकल्प सं०- 4061, दिनांक- 16/05/2016 के आलोक में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि 90 हजार रुपये दे रही है जोकि PMS-SC दिशानिर्देश 2021 की मूलभावना के साथ खिलवाड़ है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में इस संदर्भ में दाखिल PIL के जवाब में बताया है कि राशि की कमी की वजह से केंद्र की इस योजना को बिहार में लागू नहीं किया जा सकता है।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर PMS SC योजना को Point to Point लागू कराया जाए ताकि अनुसूचित जाति के लाखों विद्यार्थियों को राशि के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप कुछ काम चलने दीजिए। आप सब अपनी सीटों पर वापस चले जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभी विषयों पर चर्चा होगी। आप कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : संसद और पीठ का सम्मान सभी के लिए स्वीकार्य है। किसी भी माननीय सदस्य को संसद तथा पीठ की अवमानना करने की अनुमति नहीं है। आप कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 14 मार्च, 2023 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.11 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, March 14, 2023/ Phalguna 23, 1944 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
